न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 81/2020

1. श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर हाल निवास 17 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. शिवकुमार पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी 15 केवाईडी खाजूवाला
2. सीमा पत्नी कृष्णनाथ जाति नाथ निवासी पक्का भादवा, हनुमानगढ़
3. सिलोचना पत्नी विनोदनाथ पुत्री बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी खारिया, तहः रानिया, सिरसा, हरियाणा
4. इन्द्रा पत्नी रामसिंहनाथ जाति नाथ निवासी खारिया, तहः रानिया, सिरसा, हरियाणा
5. कृष्णनाथ पुत्र बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी 17 केवाईडी खाजूवाला
6. वेदनाथ पुत्र बीरबलनाथ जाति नाथ निवासी 17 केवाईडी खाजूवाला
7. कैलाश पत्नी राजूनाथ जाति नाथ निवासी सोमासर, तहः सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. रीना पुत्री महावीरप्रसाद जाति नाथ निवासी पक्का भादवा तहः/जिला हनुमानगढ़
9. नत्थूनाथ पुत्र महावीरप्रसाद जाति नाथ निवासी पक्का भादवा तहः/जिः हनुमानगढ़

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुभाष बिश्नोई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 18 केवाईडी के मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 की 3.0348 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में आने–जाने के लिए प्रार्थी के पास स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। चक 18 केवाईडी के मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 21 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो कि लम्बा खेत रास्ता है। उक्त खेत रास्ता मुरब्बा नं0 97/23 के प्रार्थी के किला नं0 6 से सिर्फ तीन बीघा दूर पड़ता है। मु0नं0 97/23 के किला नं0 13 ता 18 सालम व 19 में 0.0632 है0 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 की व इसी मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 19 में 0.1897 है0, 20 में 0.2529 है0, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2276 है0 कुल 1.5806 है0 का 6/7 हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 के हिस्सा में व 1/7 हिस्सा अप्रार्थी सं0 3 के हिस्सा में है जिसके वे खातेदार काबिज काश्तकार है,

अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने अपनी कृषि भूमि किला नं0 19,20, 21 ता 25 के किला नं0 25 में से अप्रार्थी सं0 1 को उसके खेत में आने जाने के लिए खेत रास्ता दे रखा है जिसका वे वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 15,16 में से रास्ता यदि दिया जाता है तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी को अपने अपने खेत में आने जाने के लिए खेत रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित चक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 की 3.0348 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नं0 97/23 के किला नं0 15,16,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा भूमि प्रार्थी को खेत रास्ता के लिए स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता भूमि अंकन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद तामिल हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता ने सूचना दी कि अप्रार्थी सं0 2, 3 फौत हो चुके है इसलिए उनके जायज वारिसों को अप्रार्थी सं0 2 ता 9 पर पक्षकार बनाया गया एवं पक्ष रखने हेतु नोटिस भिजवाने पर अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई ने अण्डरटेकिंग दी किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया इसलिए अप्रार्थी सं0 2 ता 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार मु0नं0 97/23 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता अंकित नहीं है इस मुरब्बा हेतु चकबंदी रूल्स मुताबिक रास्ता 97/31 के किला नं0 21 ता 25 में से तथा 97/30 के किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा पक्के खाले के समान्तर अंकित है जिससे प्रार्थी किला नं0 1 में आ सकता है इसलिए प्रार्थनापत्र बोगस होने के कारण काबिल खारजी है। सीएडी स्कीम व चकबंदी रूल्स अनुसार दर्शाये रास्तो का कटान करवाकर उन्हे चालू करवाकर मुझे प्रार्थी को रास्ता दिलवाकर न्याय दिलावे।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 1 ता 12 कुल 3.0348 है0 कमाण्ड श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम जाति सा0 ठाकरी के रहन आईसीआईसीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। इसी मु0नं0 97/23 के किला नं0 13 ता 19 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि शिवकुमार पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी 18 केवाईडी खातेदार रहन एसबीआई खाजूवाला के नाम दर्ज है। 97/23 के किला नं0 19 ता 25 कुल 1.5806 है0 कृषि भूमि लिछमा पत्नी बीरबलनाथ हि0 6/7 व विमला पुत्री बीरबलनाथ हि0 1/7 के नाम दर्ज है। उक्त मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 0.02 बिस्वा रिकॉर्ड अनुसार मौके पर रास्ता चालू है। किला नं0 1 ता 12 के काश्तकार श्रवणकुमार पुत्र सुल्तानराम को अपने खेत में जाने के लिए रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त आसामी नजदीकी मु0नं0 97/15 के किला नं0 15, 25 होते हुवे अपने खेत में (अस्थाई रास्ता) प्रवेश करता है। उक्त वाद काश्तकार श्रवणकुमार 97/23 के किला नं0 15,16,25 में 0.02 बिस्वा रास्ता लेना चाहता है ताकि उक्त रास्ते स्वंय व चिपते काश्तकार शिवकुमार पुत्र गोपालराम अपने खेत में प्रवेश कर सके। तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई ।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 18 केवाईडी के मु0नं0 97/23 के किला नं0 15,16,25 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थीगण उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)